दिनांक 29.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 53/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा बिहार से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 412 ग्राम अवैध हेरोइन (जिसका कीमत लगभग 80 लाख रूपये), 01 अदद मोटर साइकिल, 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल व 2025/– रुपये नकद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ थाना गाजीपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर जिनका नाम (1) धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मठिया मोड नई बाजार थाना बक्सर बिहार उम्र करीब 26 वर्ष, (2) विपिन पासवान पुत्र मनी पासवान निवासी दुल्लहपुर थाना सेमरी जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 29 वर्ष, (3) दिव्यांशू प्रसाद पुत्र अनिल कुमार निवासी कस्बा नई बाजार थाना बक्सर जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 19 वर्ष (4) साहिल खान पुत्र शहनवाज खान निवासी चित्रकोनी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 412 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन (जिसका कीमत लगभग 80 लाख रूपये), 01 अदद मोटर साइकिल, 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन व 2025/– रुपये बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर पर मु0अ0सं0 232/25 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि यह लोग गाजीपुर के एक व्यक्ति से सस्ते दाम मे हेरोइन खरीद कर बक्सर बिहार में ले जा कर सस्ते दामों में इस हेरोइन को बेच देते है और जो फायदा होता है, उसे यह लोग आपस मे बाँट लेते है। आज यह लोग गाजीपुर से हेरोइन लेकर बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मठिया मोड नई बाजार थाना बक्सर बिहार उम्र करीब 26 वर्ष

2. विपिन पासवान पुत्र मनी पासवान निवासी दुल्लहपुर थाना सेमरी जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 29 वर्ष

3. दिव्यांशू प्रसाद पुत्र अनिल कुमार निवासी कस्बा नई बाजार थाना बक्सर जनपद बक्सर बिहार उम्र करीब 19 वर्ष

4. साहिल खान पुत्र शहनवाज खान निवासी चित्रकोनी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 28.11.2025 स्थान– रेलवे स्टेशन दिलदारनगर गेट के बाहर बायें पोस्ट आफिस के बगल सरकारी हैंडपम्प के पास थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी का विवरण

1. 412 ग्राम अवैध हेरोइन (जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रूपये),
2. 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन
3. 01 अदद दो पहिया वाहन
4. 2025/– रूपया नगद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर

1– प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ सिहं

2– का0 जयन्त कुमार सिंह

3– कां0 देवानन्द,

4– का0 अमित चौरसिया

5– का0 अजीत कुमार

6– का0 इन्द्रपाल सिंह

7– का0 शिवांश राय

सहयोगार्थ थाना–दिलदार नगर जनपद–गाजीपुर की टीम–

1– उ0नि0 श्री सत्यनरायण शुक्ला

2– का0 शिवेन्द्र पाल

3– का0 सुमित सोनी

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 29.11.2025 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नारंगपुर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ताविस रजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना डिडौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– ताविस रजा निवासी मो0टंकी वाला कस्बा जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना कोतवाली नगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल एवं 08 मोटर साइकिल की चेचिंस व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 28.11.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झिंगहा घाट के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1–सरवन कुमार 2–जीवन लाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–ननकऊ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल एवं 08 मोटर साइकिल की चेचिंस व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जीवन लाल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरवन कुमार निवासी चन्दनापुर सिकड़िया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।

2—जीवन लाल निवासी माधोपुर बैकुण्ठा थाना हरदी जनपद बहराइच।

3—ननकऊ निवासी कल्याणपुरवा बैकुण्ठा थाना हरदी जनपद बहराइच।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल एवं 08 मोटर साइकिल की चेचिंस व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दनकौर

- **अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध पिस्टल मय 160 जीवित कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जीवित कारतूस**
- **50 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 28.11.2025 को थाना दनकौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढिया गोल चक्कर के पास से अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 05 अभियुक्तों 1—गजेन्द्र उर्फ गजे 2—सुमित कुमार उर्फ गुण्डा 3—सागर 4—हर्ष 5—निखिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध पिस्टल मय 160 जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जीवित कारतूस, 50 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गजे, सुमित कुमार उर्फ गुण्डा, सागर के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दनकौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गजेन्द्र उर्फ गजे निवासी ग्राम कैमराला चक्रसेनपुर थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–सुमित कुमार उर्फ गुण्डा निवासी ग्राम सलेमपुर गुर्जर थाना कासना कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–सागर निवासी कामबक्शपुर थाना नॉलेज पार्क कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4–हर्ष निवासी लम्बा गलियारा थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5–निखिल निवासी अम्बे भारती सोसाइटी सैक्टर– पाई 01 थाना बीटा– 02 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–03 अवैध पिस्टल मय 160 जीवित कारतूस।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जीवित कारतूस।

3–50 हजार रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

- **<u>कमिश्नरेट लखनऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 98 लाख 44 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र सर्वेश सिंह निवासी राधापुरम कॉलोनी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ, मूलपता ग्राम बसौली थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 98 लाख 44 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर–24 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सोनू 2–शिवकुमार 3–रिड़कू को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि, 4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अलगू उर्फ शुभ नरायण को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना बड़ागांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना बड़ागांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/315/316 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित को आजीवन कारावास व 90 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 66 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/342/363 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संतोष को आजीवन कारावास व 66 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रवि को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना चेतगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना चेतगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 370(4) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल कुमार को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद महोबा/थाना कुलपहाड़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजू को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना ककोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विकास 2–पुष्पेन्द्र को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लवकुश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना रूधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना रूधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राज नरायण 2–अखिलेश कुमार 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————